न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 14/2022
जीसीएमएस नम्बर :: 2022/153

अपीलाण्ट :— बनाम रेस्पोडेण्ट्स :—

श्री योगेश सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी पुनायता, तहसील व जिला पाली।

1. महिपाल सिंह पुत्र श्री भवर सिंह
2. अणसी पत्नी स्वर्गीय श्री अर्जुनसिंह
3. भरत सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री अर्जुनसिंह
4. महावीर सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री अर्जुनसिंह
5. रूपरतन सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री अर्जुनसिंह
6. चंदु पुत्री स्वर्गीय श्री अर्जुनसिंह
7. संविता पुत्री स्वर्गीय श्री अर्जुनसिंह
8. कोशल्या पुत्री स्वर्गीय श्री अर्जुनसिंह
9. गायत्री पुत्री स्वर्गीय श्री अर्जुनसिंह तमाम जातिगण राजपुरोहित, निवासीगण पुनायता, तहसील पाली, जिला पाली
10. भूमिधारी तहसीलदार पाली, तहसील पाली, जिला पाली।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित, भैराराम परिहार
रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 से 9 की ओर से अधिवक्ता श्री महेशसिंह राजपुरोहित
रेस्पोडेण्ट्स संख्या 10 की ओर से सरकारी पेरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 06.05.2024

जिला कलक्टर, पाली

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध ग्राम पुनायता नामान्तरकरण संख्या 619 दिनांक 28.05.2008 जो तहसीलदार पाली द्वारा स्वीकृत किया गया उसे निरस्त कराने हेतु पेश की गई। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस कथन किया कि मौजा ग्राम पुनायता तहसील पाली जिला पाली के रकबा 35.10 बीघा, खसरा नम्बर 109, रकबा 13.04 बीघा, किस्म बा.अ. व खसरा नम्बर 257 रकबा 10.06 बीघा, किस्म चा.सो, आयी हुई है, जिसमें अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से लगायत 09 व रेस्पोडेण्ट संख्या 01 का बराबर हक व अधिकार

है। जैर आराजी से संबंधित पूर्व खातेदार अपीलाण्ट के पिता अर्जुनसिंह का देहान्त हो जाने पर फौतेदगी नामान्तरकरण 619 भरा गया, जिसमें अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट का नाम दर्ज किया गया है। उक्त म्यूटेशन के समय अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट 01 लगायत 09 विवादग्रस्त भूमि में नाम दर्ज है, अपीलाण्ट के पिता अर्जुनसिंह के देहान्त के बाद वादग्रस्त भूमि उनके पुत्र पुत्रियों व पत्नी के नाम दर्ज की गई, जिसमें त्रुटिवश अपीलाण्ट का नाम योगेश सिंह के स्थान पर छोटू सिंह किया गया, जिसमें त्रुटि सुधार करने हेतु अपील पेश की है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण को निरस्त फरमाकर जैर अपील नामान्तरकरण में वर्णित कृषि भूमि में अपीलाण्ट का नाम छोटू सिंह के स्थान पर योगेश सिंह दर्ज किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने बहस के दौरान कथन किया कि अगर जैर नामान्तरकरण भरते समय कोई विधिक त्रुटि रही हो एवं इसे विधिनुसार संशोधित किया जाता है तो उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय मियाद अधिनियम, शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

बहस उभयपक्षीय सुनी गई। श्रवणसुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा पेश किये गये अपील मीमो व अपने साक्ष्य से यह कथन कि उस का वास्तविक नाम योगेश सिंह है जबकि घर में वह सबसे छोटा पुत्र होने के कारण उसे लाड से छोटू सिंह कहा जाता था। इसलिए जैर नामान्तरकरण भरते समय त्रुटिपूर्वक दर्ज किये गये उक्त नाम का संशोधन किया जाये। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य व रेस्पो. के जवाब से प्रथम–दृष्ट्या उक्त तथ्य उचित प्रतीत होता है परन्तु फिर भी सम्पूर्ण जांच के बाद नाम के संशोधन का विषय है। अतएव जैर नामान्तरकरण को अपास्त किया जाकर तहसीलदार, पाली को प्रति प्रेषित कर निर्देशित करते है कि प्रकरण में स्थानीय निकाय एवं विधिवत उचित जांच कर यह सुनिश्चित करे कि योगेश सिंह व छोटू सिंह एक ही व्यक्ति है एवं तद्नुसार उचित जांच कर सभी पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की सत्य प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05.07.2024 को प्रस्तुत हो एवं पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली

जिला कलक्टर, पाली